भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4694
दिनांक 21 अगस्त, 2025

पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत लाना

4694. श्री ज्ञानेश्वर पाटीलः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने का कोई प्रस्ताव है;
(ख) यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों की स्थिति क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या वित्त मंत्रालय को विगत पाँच वर्षों के दौरान पेट्रोल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया है; और
(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख): संविधान का अनुच्छेद 279 क (5) प्रावधान करता है कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद उस तिथि की सिफारिश करेगा, जिस तिथि से पैट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (आमतौर पर जिसे पेट्रोल कहा जाता है), प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाएगा। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(2) के अनुसार, इन उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने हेतु जीएसटी परिषद की सिफारिश की आवश्यकता होगी। अब तक, जीएसटी परिषद, जिसमें सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है, ने इन वस्तुओं को जीएसटी के तहत शामिल करने के लिए कोई सिफारिश नहीं की है। वर्तमान में, एलपीजी, जीएसटी व्यवस्था में कवर होती है।

(ग) और (घ) जीएसटी परिषद ने 21 दिसंबर 2024 को आयोजित अपनी 55वीं बैठक में एटीएफ, जो कि पेट्रोलियम उत्पादों में से एक है, को जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत शामिल करने पर चर्चा की थी। हालाँकि, परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था।

(ङ) और (च) चूँकि उपरोक्त उत्पाद जीएसटी में कवर नहीं होते हैं तथा जीएसटी परिषद द्वारा अभी तक कोई भी सिफारिश नहीं की गई है, इसलिए, उपभोक्ताओं पर मूल्यों के संभावित प्रभाव का आकलन करना जल्दबाजी होगा।

*****